डा0 भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आंगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/2050/14
दिनांकः..25.1.2014.

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय
रायभा, अछनेरा
आगरा।

महोदय,

उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याःसम्ब0-280/सत्तर-2-2013-2(280)/2013 दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आंपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान) पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित आठ शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।

(2) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है, तो सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगीं और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

Scanned by CamScanner

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-

37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(5) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का भली-भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(7) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(8) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अर्न्तगत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव
(सम्बद्धन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

1- उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
3- निजी सचिव कुलपति ।
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव
(सम्बद्धन)

Scanned by CamScanner

डा0 भीमराव अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्तीः आंगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याःसम्बद्धन/2052/14
दिनांकः..25.12.14..

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक
श्री सिद्धि विनायक एजूकेशनल महाविद्यालय
रायभा, अछनेरा
आगरा।

महोदय,

उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याःसम्ब0-281/सत्तर-2-2013-2(281)/2013 दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित आठ शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।

(2) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है, तो सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

Scanned by CamScanner

(4) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-

37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।

37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

(5) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का भली-भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(7) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(8) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नही करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव
(सम्बद्धन)

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः-

1- उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
3- निजी सचिव कुलपति ।
4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर,बालूगंज, आगरा ।
5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव
(सम्बद्धन)

Scanned by CamScanner